**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**E.A. No. 34/2024**

**In**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023**

**<u>IN THE MATTER OF:</u>**

RAVENDRA SINGH …APPLICANTS

VERSUS

NHAI & ORS. …RESPONDENTS

**INDEX**

| S.NO | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, AGRA, UTTAR PRADESH ALONGWITH SUPPORTING AFFIDAVIT. | |
| 2. | **<u>ANNEXURE-1.</u>**<br>The official communication establishing the Joint Committee | |
| 3. | **<u>ANNEXURE-2.</u>**<br>Photographic evidence captured during the Joint Committee's inspection on 08.10.2024, showing specific areas of concern such as blocked culverts and stagnant water | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **ANNEXURE-3.**<br><br>The letter dated 11.07.2023 from Agra Gwalior Pathways Pvt. Ltd., which underscores the persistent waterlogging issues and requests inspections to identify drainage solutions. | |
| 5. | **ANNEXURE-4.**<br><br>The letter issued by UPPCB on 30.11.2024, emphasizing adherence to C&D Waste Management Rules, 2016, and CPCB guidelines for dust mitigation. | |
| 6. | **ANNEXURE-5.**<br><br>The correspondence dated 02.12.2024 from PWD, Agra, detailing complaints about unsatisfactory road conditions and the urgent need for drainage systems, | |

**Through**

Priyanka

Date: 21.01.2025

Place: New Delhi

**PRIYANKA SWAMI**

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE UTTAR PRADESH

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**E.A. No. 34/2024**

**In**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023**

**IN THE MATTER OF:**

RAVENDRA SINGH …APPLICANTS

VERSUS

NHAI & ORS. …RESPONDENTS

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, AGRA, UTTAR PRADESH ALONGWITH SUPPORTING AFFIDAVIT.**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. This compliance report is respectfully submitted in response to the Hon'ble Tribunal's order dated 22.05.2023 in Original Application No. 338/2023, regarding the inaction of authorities in cleaning the drain in Gauri Kunj and the service lane of NH-3, Agra. Despite the Tribunal's direction to the Joint Committee (Agra Development Authority, UPPCB, and DM, Agra) for remedial action, no steps have been taken as per the applicant's submission, supported by photographs and the following submissions provide clarification for the same the order states:

   *"....6. Let notice be issued to all the other respondents. Applicant is directed to serve the other respondents and file the affidavit of service at*

*least one week before the next hearing date. Respondents are directed to file their compliance report by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply/affidavit without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.*

*7. List on 24.01.2025…."*

2. This compliance report is submitted pursuant to the directions issued by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in its order dated 22.05.2023 in Original Application No. 338 of 2023. The said order directed the constitution of a Joint Committee comprising representatives of the Agra Development Authority, UP State Pollution Control Board, and the District Magistrate, Agra, to address the grievances raised by the applicant, Shri Ravendra Singh.

3. That the grievance pertains to waterlogging and inadequate drainage systems along the 12 km stretch of road constructed by the National Highways Authority of India (NHAI), from Rohta to Nagla Makraul, Etaura, Agra. The said stretch, which includes service lanes on both sides, passes through a region comprising numerous approved and unapproved residential colonies, agricultural lands, and markets. Rainwater mixed with household sewage has resulted in waterlogging, emanating unpleasant odors and creating potential health hazards for residents. The authorities acknowledge the gravity of the issues raised and are actively engaged in addressing these grievances in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

4. That pursuant to the order dated 22.05.2023, the Joint Committee was duly constituted. The Committee is composed of senior officials from the Agra Development Authority, UP State Pollution Control Board, and the office of the District Magistrate, Agra. The Committee's mandate includes evaluating the existing infrastructural deficiencies, identifying remedial measures, and ensuring compliance with environmental and legal norms. The official communication establishing the Joint Committee is annexed as **ANNEXURE 1.**

5. That on 08.10.2024, the Joint Committee conducted a comprehensive site inspection in the presence of the applicant, Shri Ravendra Singh. The inspection revealed several critical issues, including stagnant water on service roads, blocked culverts, and insufficient drainage systems in low-lying areas. These observations have been pivotal in formulating an actionable plan to address the identified deficiencies. Photographic evidence captured during the Joint Committee's inspection on 08.10.2024, showing specific areas of concern such as blocked culverts and stagnant water, is annexed as **ANNEXURE 2.**

6. That a communication dated 11.07.2023 from Agra Gwalior Pathways Pvt. Ltd. highlighted the persistent drainage challenges in the affected area. The letter detailed the need for additional culverts and proposed that a survey be conducted to determine suitable locations for implementing new drainage systems. This reflects the proactive approach undertaken by stakeholders in seeking solutions. The letter dated 11.07.2023 from Agra Gwalior Pathways Pvt. Ltd., which underscores the persistent waterlogging issues and requests inspections to identify drainage solutions, is annexed as **ANNEXURE 3.**

7. That the UP State Pollution Control Board (UPPCB) has been actively involved in ensuring compliance with relevant environmental regulations. Vide its letter dated 30.11.2024, UPPCB emphasized the importance of adhering to the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, and CPCB guidelines for mitigating environmental impacts during the execution of drainage infrastructure projects. This reiterates the authorities' commitment to sustainable development. The letter issued by UPPCB on 30.11.2024, emphasizing adherence to C&D Waste Management Rules, 2016, and CPCB guidelines for dust mitigation, is annexed as **ANNEXURE 4.**

8. That the Public Works Department (PWD), Agra, vide its correspondence dated 02.12.2024, addressed concerns regarding road conditions, including waterlogging and potholes. The letter underscored the need for timely repair and emphasized the necessity of installing effective drainage systems before transferring road maintenance responsibilities. This communication demonstrates the department's proactive stance in addressing public grievances and ensuring infrastructure sustainability. The correspondence dated 02.12.2024 from PWD, Agra, detailing complaints about unsatisfactory road conditions and the urgent need for drainage systems, is annexed as **ANNEXURE 5.**

9. The respondents have undertaken significant steps to address the concerns raised by the applicant. The collaborative efforts of the Joint Committee, supported by consistent stakeholder engagement and adherence to environmental compliance, demonstrate a genuine commitment to resolving the issues in a timely and efficient manner. While some challenges persist, the

authorities are resolute in their intent to execute the required infrastructural and drainage improvements comprehensively.

10. The respondents reaffirm their dedication to ensuring compliance with the Hon'ble Tribunal's directives and remain committed to the welfare of the affected residents. Through continued inter-agency cooperation, sustained focus on environmental compliance, and expedited implementation of corrective measures, the respondents strive to create a sustainable and habitable environment for all stakeholders.

**Through**

Priyanka...

Date: 21.01.2025

Place: New Delhi

**PRIYANKA SWAMI**

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE UTTAR PRADESH

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA NOTARIAL NOTARIAL

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**E.A. No. 34/2024**

**In**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023**

**IN THE MATTER OF:**

RAVENDRA SINGH …APPLICANTS

VERSUS

NHAI & ORS. …RESPONDENTS

**AFFIDAVIT**

I, Aravind Mallappa Bangari aged about 43 years S/o Shri Mallappa presently posted as District Magistrate, Agra, Uttar Pradesh having an office at Agra.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

Verified on solemn affirmation at Agra on this 21st day of January, 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

S. No. J/138/2025
Explained to Shri Aravind Mallappa Bangari
read by Presently Posted as D.M. Agra
who understood the contents
solemnly affirmed & declare on
oath on 21/1/2025
at Agra
Identified by

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA 21/1/2025

 (L-246)

Annexure R-1

टिप्पणी एवं आदेश

उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–338/2023 (रविन्द्र सिंह बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री रविन्द्र सिंह द्वारा शिकायत की गई है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रोहता से लेकर नगला मकरौल, इटौरा, आगरा के 12 कि0मी0 स्ट्रैच में सड़क का निर्माण किया गया है तथा सड़क के दोनो तरफ सर्विस लेन का निर्माण भी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ एप्रूव्ड एवं अनएप्रूव्ड रिहायशी कॉलोनी में हजारों लोग निवास कर रहें हैं। प्राईवेट कॉलोनाईजर्स द्वारा प्लाट एलॉट किये गये हैं तथा 12 कि0मी0 स्ट्रैच में कृषि भूमि एवं मार्केट भी है। शिकायतकर्ता एवं अन्य रिहायशी लोगों को उपरोक्त स्थल पर ड्रेनेज कन्जेशन होने की वजह से वाटर लॉगिंग एवं फ्लडिंग होने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में परिवाद दाखिल किया गया है। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 22.05.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

"2. The applicant and other inhabitants of the area are facing problem of drainage congestion leading to water logging and flooding. The affected stretch has witnessed almost knee-deep water logging. Rainwater mixes with sewer water and spreads foul odour. This creates unsanitary conditions with potential health risk for residents. Agra Development Authority (ADA) has to construct a drainage network system for the area and NHAI has to develop a drain (nalla) along the side of the National highway from Rohta to Kakua. Water accumulation is causing-water-borne diseases. Despite regular complaints, the Agra development Authority (ADA) and NHAI have done nothing to solve the problem. This is degrading the environment calling for intervention of this Tribunal under section 15 of the NGT Act, 2010.

3. The applicant has annexed photographs of the area in support of his averments and also copy of letter dated 31.03.2023 addressed to the Chairman, NHAI.

4. We are of the opinion that grievance needs to be looked into and remedial action in accordance with law by a joint Committee of Agra Development Authority, UP State PCB and District Magistrate, Agra."

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी महोदय, आगरा की संयुक्त समिति का गठन करते हुए नियमानुसार उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश पारित किये गये हैं। उपरोक्त के कम में आगरा विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय, आगरा की तरफ से संयुक्त समिति हेतु अधिकारी नामित करना चाहें।

31/5/23
(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्र. CTP (TTL) नामित

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा

31/5/23

ADM City & ExEn PWD (PD) नामित

1/6/23
जिलाधिकारी,
आगरा।

neeraj 5/6/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 914/93 / सी–4 / विधि / एनजीटी–421 / 23 दिनांक 26-5-23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण / ई–मेल

सेवा में,

(1) जिलाधिकारी, आगरा।

(2) उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–338 / 2023 रावेन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाइवेज अथारिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–338 / 2023 रावेन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाइवेज अथारिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

*"......4. We are of the opinion that grievance needs to be looked into and remedial action in accordance with law by a joint Committee of Agra Development Authority, UP State PCB and District Magistrate, Agra.*

*The application is disposed of accordingly."*

उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु डा0 विश्वनाथ शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा (मो0 नं0–7839891805 ई–मेल–roagra@uppcb.in) को नामित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

DA
Fikit
3/6/23

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना से मुख्यालय को अवगत करायें।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

AnnexureR-2

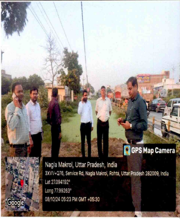
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3XVV+Q76, Service Rd, Nagla Makrol, Rohta, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.094192°
Long 77.99263°
08/10/24 05:23 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rohta, Uttar Pradesh, India
Rohta, New Suraksha Vihar Phase 1, Agra, Rohta, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.103725°
Long 77.996005°
08/10/24 05:06 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3XVV+Q76, Service Rd, Nagla Makrol, Rohta, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.094192°
Long 77.99263°
08/10/24 05:23 PM GMT +05:30
Google

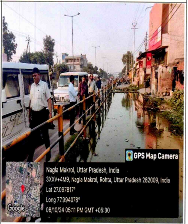
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3XXV+4M9, Nagla Makrol, Rohta, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.097817°
Long 77.994078°
08/10/24 05:11 PM GMT +05:30
Google

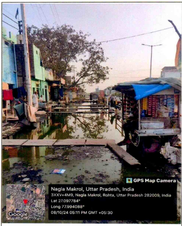
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3XXV+4M9, Nagla Makrol, Rohta, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.097784°
Long 77.994088°
08/10/24 05:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Agra, Uttar Pradesh, India
3XVV+F6W, Agra, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.094093°
Long 77.992593°
08/10/24 05:26 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rohta, Uttar Pradesh, India
4X5W+279, Bamrauli Rd, New Suraksha Vihar Phase 1, Rohta, Agra, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.107726°
Long 77.995343°
08/10/24 05:52 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rohta, Uttar Pradesh, India
4X3W+FFG, New Suraksha Vihar Phase 1, Rohta, Agra, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.103641°
Long 77.996106°
08/10/24 05:05 PM GMT +05:30
Google

NGT Annexure-3



# आगरा ग्वालियर पाथवेज प्रा० लि०

**(CIN-U45203MP2014PTC032700)**

**Local Correspondence Office Add. : Chhonda Toll Plaza, Chhonda District Morena (MP)**

आ.ग्वा.पा.प्रा.लि. / एनजीटी / मुरैना / 2023–24 / 3189 दिनांकः 11–जुलाई–2023

प्रति,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय
जिला – आगरा
महात्मा गांधी रोड,
साईं की तकीया के पास, रकाबगंज
आगरा (उ0प्र0) 282010
ईमेलः upagr@nic.in

श्रीमान् आयुक्त महोदय
आगरा विकास प्राधिकरण
रतनमंडी रोड, जयपुर हाऊस,
जयपुर हाऊस कॉलोनी,
आगरा (उ0प्र0) 282010
ईमेलः support@adaagra.org.in

श्रीमान् क्षेत्रीय अधीकारी महोदय
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
सेक्टर–3 आवास विकास कॉलोनी,
लोहामंडी
आगरा (उ0प्र0) 282004
ईमेलः roagra@uppcb.in

**विषयः** एनजीटी रिर्पोट की परिपालना में ग्राम रोहता (कि.मी. 8.000) से नगला मकरोल, इटौरा व ककुआ (कि.मी. 12.000) तक रा0रा0 के दोनों ओर नाले का निर्माण किये जाने के संबंध में।

**संदर्भः** 1. भा0रा0रा0प्रा0 पं.क.ई ग्वालियर का पत्र सं0 10838 दिनांक 05 जुलाई 2023।
2. रेजीडेंट इंजीनियर मै0 लॉयन इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस प्रा0लि0 पत्र 1428 दिनांक 05 जुलाई 2023।

महोदय,

विषय व संदर्भ में अवगत कराना है कि एनजीटी रिर्पोट की अनुपालन में ग्राम रोहता (कि.मी. 8.000) से नगला मकरोल, इटौरा व ककुआ (कि.मी. 12.000) तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर नाले के निर्माण का कार्य कराया जाना है। इस संबंध में श्रीमान् जी निवेदन है कि दर्शित स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के पानी के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही हैं, बल्कि उक्त समस्या यहा पर रहने वाले स्थानीय रहवासियों के घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उक्त गंदे पानी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोड़ जा रहा है जिसके कारण जल भाराव की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही कि.मी. 8 से कि. मी. 12 तक रा0रा0 पर एक भी पुलिया न होने के कारण नाला बनाये जाने के बाद भी पानी की निकासी का मार्ग नहीं है एवं पानी का बहाव आगरा शहर की ओर है।

अतः आप सभी से विनम्र सहित अनुरोध है कि कोई भी उचित समय मिलने पर अपने कार्यालय से प्रतिनिधियों को भेजकर दर्शित स्थल का निरीक्षण किये जाये एवं नव निर्माण नाले के पानी की निकासी हेतु जगह चिन्हित की जाये। जिससे उक्त स्थल पर नाले के निर्माण हेतु सर्वे किया जाकर अग्रिम कार्यवाही कर अनुपालना रिर्पोट प्रेषित की जा सके। इस हेतु हमारे कार्यालय की ओर से श्री पुनीत शर्मा, साईट इंजीनियर, मो. नं. 6260671022 मौजूद रहेगें।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते मै0 आगरा ग्वालियर पाथवेज प्रा. लि.

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. श्रीमान् परियोजना निदेशक / राजमार्ग प्रशासक भा0रा0रा0प्रा0, प.क.ई ग्वालियर। (म0प्र0)
2. श्रीमान् रेजिडेन्ट इंजीनियर, लॉयन इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस, मुरैना। (म0प्र0)

Regd. Off. : 76, Mall Road, Mhow – 453441, Disst. Indore (MP)
Ph. +91-7324-275001, 274616,400317 Fax : 400318
E-mail : gwalior@pathltd.com web site : www.pathltd.com

16/8/23

Annexure - 4



e-mail; roagra@uppcb.in

## क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक 886 /06-627 / 2024 दिनांक – 30 / 11 / 2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई :
डी–81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग,
ग्वालियर (म0प्र0)–474011.

**विषयः–आगरा–ग्वालियर नेशनल हाइवे पर नगला माकरोल पर सी0सी0 कार्य कराये जाने के दौरान निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 (Construction and Demolition Waste Management Rules-2016) एवं सी0पी0सी0बी0 गाईडलाईन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एवं सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

**संदर्भ– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 17.11.2024 को प्रकाशित खबर "ग्वालियर हाईवे पर उड़ रही धूल, वाहन चालक परेशान" के सम्बन्ध में खबर प्रकाशित की गयी है। तत्क्रम में कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा सन्धू धर्मकाटा एवं सिंघल ग्रेनाइट के सामने, नगला मांकरौल, एन0एच0–44, ग्वालियर रोड़, आगरा पर आप द्वारा कराये गये सीमेंट कॉकीट (सी0सी0) कार्य का निरीक्षण दिनांक 26.11.2024 को किया गया। निरीक्षणाख्यानुसार निरीक्षण के समय सी0सी0 रोड़ पर मौरंग, डस्ट एवं छोटी गिट्टी आदि लगभग आधी रोड़ पर फैली हुयी पायी गयी, जिसके कारण वाहनों के निरन्तर आवागमन से वातावरण में धूल उड़ती हुई पायी गयी। निरीक्षण के समय उपरोक्त स्थल के उपस्थित दुकानदार एवं सिंघल ग्रेनाइट के प्रतिनिधि श्री राजवीर सिंह तथा श्री दीपेन्द्र यादव, ठेकेदार से फोन पर सम्पर्क किया गया। श्री दीपेन्द्र यादव द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 70मी0 लम्बाई में सीमेंट कॉकीट (सी0सी0) कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–44), ग्वालियर खण्ड द्वारा लगभग 25 दिन पहले कराया गया है। सी0सी0 निर्माण कार्य के उपरान्त शेष निर्माण सामग्री न हटाये जाने के कारण आस–पास के वातावरण में पर्टीकुलेट मैटर (PM10 एवं PM2.5) में वृद्धि होना स्वाभाविक है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का उत्तरदायित्व है कि एन0एच0–44, आगरा–ग्वालियर रोड़ पर सी0सी0 रोड़ के निर्माण कार्यों से उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए निर्माण स्थल पर सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016, सी0पी0सी0बी0 गाइडलाइंस ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल एवं सी0 एण्ड डी0 वेस्ट का अनुपालन सुनिश्चित करायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में फैलकर वातावरण को दूषित न कर सकें।

कृ0प0उ0

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2024 को मण्डलायुक्त महोदया, आगरा मण्डल, आगरा/अध्यक्ष, ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण ताथा नियन्त्रण) प्राधिकरण की 62वीं बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों के क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा जनपद में प्रगतिमान निर्माण कार्यों में का निरीक्षण कर सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 का अनुपालन न करने वाले निजी एवं सरकारी निर्माण कार्यों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

अग्रेतर अवगत कराना है कि श्री रविन्द्र सिंह, रिटायर्ड कैप्टन इण्डियन आर्मी, ग्वालियर रोड, आगरा द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन नं0–338/2023 (रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया एवं अन्य) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 22.05.2023 में निम्नवत् आदेश जारी किये गये है–

4. We are of the opinion that grievance needs to be looked into and remedial action in accordance with law by a joint Committee of Agra Development Authority, UP State PCB and District Magistrate, Agra.

प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 08.10.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय आगरा–ग्वालियर नेशनल हाइवे रोहता से नगला माकरोल से ककुआ तक सर्विस रोड़ के सहारे दोनों तरफ नाले का निर्माण न किये जाने/जल निकासी न होने के कारण सर्विस रोड़ पर दूषित घरेलू उत्प्रवाह एकत्रित पाया गया, जिसके कारण क्षेत्र में जल जनित रोग फैलने की प्रबल सम्भावनायें है। निरीक्षण के समय उपस्थित श्री आर0एस0 वर्मा, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त रोड़ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा–ग्वालियर खण्ड के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, जिसका जल निकासी हेतु ड्रेन का निर्माण एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जाना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल एवं वायु प्रदूषण के निदान हेतु शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त महोदया, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-5



उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा– 282001
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. AGRA-282001
email- pwd123pd@gmail.com
pwdhelpline@gmail.com

पत्रांक 4615 / 1सी०

दिनांक 02/12/2024

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, ग्वालियर(म०प्र०)–474011

विषयः– Handing over of the section from Km 8+000 to Km 13+000 of (Old NH-03) News Article Published in Amar Ujala on 14-10-2024-Reg.

सन्दर्भः– आपका पत्रांक NHAI/PIU-GWL/11011/25/2014-AG/14317 दिनांक 17.10.2024 एवं अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो०नि०वि०, आगरा का पृष्ठांकन सं० 2925 / 19सी0–आ0वृ0 / 2024 दिनांक 23.11.2024 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा–ग्वालियर मार्ग के किमी0 8 से 13 तक का भाग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त मार्ग की स्थिति संतोषजनक नहीं है उक्त मार्ग पर सर्विस रोड एवं किनारे पर जलभराव एवं गड्ढों के सम्बन्ध मे आय दिन इस कार्यालय को शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिनके निस्तारण हेतु इस वित्तीय वर्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 2843 / 1सी0 दिनांक 18.07.2024 एवं पत्रांक 3117 / 1सी0 दिनांक 03.08.2024 द्वारा एन0एच0ए0आई0 ग्वालियर एवं एन0एच0ए0आई0 आगरा को भी लिखा गया है। उक्त के बावजूद आपके सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 7 में यह अंकित किया जाना कि आपके द्वारा मार्ग का प्रश्नगत भाग दिनांक 01.05.2024 से उ0प्र0 सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है, उचित नहीं है। वर्तमान में दिनांक 27.11.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त मार्ग पर काफी जलभराव एवं गड्ढे पाये। मार्ग की समुचित मरम्मत एवं जल निकासी हेतु प्रबन्ध(नाला इत्यादि) कराये बिना मार्ग का हस्तांतरण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप मार्ग का मरम्मत कार्य कराकर तथा जल निकासी हेतु समुचित प्रबन्ध कराने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि मार्ग के हस्तांतरण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

(आर0एस0 वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक 4615 / 1सी० दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा को पत्रांक सं0 7790 / 82सी0–आ0क्षे0 / 2024 दिनांक 20.11.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा को पृष्ठांकन सं0 2925 / 19सी0–आ0वृ0 / 2024 दिनांक 23.11.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा